



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128784

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3072/2026

तबिश राणा

... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : नीरज कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 2 को नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। नोटिस की तामील के बावजूद विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था।
2. आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
3. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान एजीए-। डॉ. एस.बी. मोर्या को सुना।
4. वर्तमान अपील, अपीलार्थी द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.03.2026, जिसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 43 सन् 2026, धारा 351(2), 352, 78, 316(2), 64(2)एम, 115(2) बी.एन.एस., धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम तथा धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना हाथरस गेट,



जनपद हाथरस में अपीलार्थी का जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया है, को अपास्त किया जाए।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, तत्काल अपील को दिनांक 13.03.2026 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा, अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, संबंधित अदालत ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया क्योंकि प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता निर्दोष प्रतीत होता है।

6. वह आगे प्रस्तुत करता है, हालांकि, आरोप के अनुसार, अपीलकर्ता सूचनाकर्ता की बेटी को लगातार प्रताड़ित कर रहा था और उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था और उसका यौन शोषण भी कर रहा था, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए पूरे आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

7. वह आगे प्रस्तुत करता है, स्वीकार किया जाता है कि पीड़िता यानी सूचनाकर्ता की बेटी यानी विपक्षी संख्या 2 एक प्रमुख लड़की है और अपीलकर्ता और पीड़ित दोनों रिश्ते में थे, लेकिन बाद में उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए और उसके बाद वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज की गई।

8. वह आगे प्रस्तुत करता है, एफआईआर में कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन जब धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत पीड़िता के बयान दर्ज किए गए तो उसने शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताता है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा है।

9. वह आगे प्रस्तुत करता है, यहां तक कि जांच के दौरान दर्ज पीड़िता के बयानों के अवलोकन से भी उसके द्वारा सुनाई गई प्रथम दृष्टया कहानी असंभव प्रतीत होती है। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित अदालत अपने दिमाग को ठीक से लागू नहीं कर सकी और अपीलकर्ता की जमानत याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

10. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता ने कथित अपराध किया है क्योंकि पीड़ित अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है और इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया अपराध भी नहीं बनता है।



11. वह आगे प्रस्तुत करता है, हालांकि, वर्तमान प्रकरण के अलावा, अपीलकर्ता का चार अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को समझाया गया है और प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए अपीलकर्ता की तत्काल अपील को केवल उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर खारिज करना उचित नहीं है।

12. वह आगे प्रस्तुत करता है, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, दिनांक 13.03.2026 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जा सकता है और अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया, एक बहुत विस्तृत आदेश के साथ संबंधित अदालत ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और धारा 180 और 183 बीएनएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता है। विद्वान एजीए ने आगे प्रस्तुत किया, तत्काल अपील गुणों से रहित है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

14. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और प्रकरण के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

15. अपीलकर्ता द्वारा संबंधित न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.03.2026 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ तत्काल अपील दायर की गई है, जिसके द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

16. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता सूचनाकर्ता की बेटी को परेशान कर रहा था और उसके साथ शादी करने के लिए लगातार दबाव डाल रहा था और यहां तक कि उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना रहा था, लेकिन यह दर्शाता है कि पीड़िता बड़ी लड़की थी और धारा 180 और 183 बीएनएस के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों में उसके द्वारा बताई गई पूरी कहानी अत्यधिक असंभव प्रतीत होती है।

17. प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस स्तर पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है और इस न्यायालय के विचारशील दृष्टिकोण में प्रकरण के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिनांक 13.03.2026 के आक्षेपित आदेश को खारिज करते हुए संबंधित अदालत ने अवैधता की और 13.03.2026 का आक्षेपित आदेश अवैध प्रतीत होता है।



18. इसके अलावा, हालांकि, वर्तमान प्रकरण के अलावा, अपीलकर्ता का चार अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को तत्काल अपील में समझाया गया है और इस न्यायालय को देखते हुए केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करना उचित नहीं है।

19. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, दिनांक 13.03.2026 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ता को मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

20. तदनुसार, वर्तमान अपील **स्वीकृत** किया जाता है।

21. उपर्युक्त वाद में अपीलार्थी **ताबिश राना** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभुओं के बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) अपीलार्थी विचारण के दौरान साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलार्थी अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत/धमकाएगा।

(iii) अपीलार्थी प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

(iv). अपीलकर्ता उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके उन पर आरोप लगाया गया है, या जिस पर उन पर संदेह है।

(v). अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

22. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के प्रकरण में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

23 जून 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।